**विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री अनूप कुमार गुप्ता, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-20 का उत्तर।**

-------------------------

| | **प्रश्न** | **उत्तर** |
|---|---|---|
| 20 | (क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-322 व 323 बीजेपी यूपी-2024 दिनांक 28/11/2024 जो प्रमुख सचिव, नगर विकास उ0प्र0 शासन, लखनऊ निदेशक डूडा उ0प्र0 लखनऊ तथा नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को मकान नं0-86/21, तथा 96/13, सेक्टर-एच बसंत कुंज (बीएसयूपी) दुबग्गा, लखनऊ को अराजक तत्वों द्वारा कब्जा मुक्त करके प्रार्थीगणों को कब्जा दिलवाये जाने के संबन्ध में प्रेषित था कब प्राप्त हुआ है? | मा0 सदस्य विधान परिषद का पत्र संख्या-322 व 323 बीजेपी यूपी-2024 दिनांक 28.11.2024 डूडा, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 05.12.2024 को प्राप्त हुआ है। |
| | (ख) क्या म0नं0-86/21 व 96/13 से अराजक तत्वों से अवैध कब्जा हटवाया गया है? | अपर नगर मजिस्ट्रेट(प्रथम)/परियोजना अधिकारी, डूडा, लखनऊ के पत्र दिनांक 21.02.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि बी0एस0यू0पी0 आवास योजना बसन्त कुंज सेक्टर-एच, दुबग्गा, लखनऊ के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा **1184** भवनों का निर्माण किया गया था।<br>वर्तमान में डूडा कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार भवन संख्या-**86/21** पर श्री मनोज चौहान पुत्र श्री रमेश चौहान का नाम अंकित है परन्तु श्री मनोज चौहान द्वारा कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त तत्समय निवास नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप श्री मनोज चौहान को डूडा, कार्यालय लखनऊ द्वारा भिन्न-भिन्न समय पर तीन नोटिस दी गयीं जिसमें से अन्तिम नोटिस पत्रांक संख्या-**742**/पी0ओ0 /डूडा/**2020-21** दिनांक **03.09.2020** को भवन संख्या-**86/21** पर चस्पा भी की गयी, किन्तु श्री मनोज चौहान द्वारा डूडा कार्यालय के उक्त नोटिस का कोई उत्तर डूडा कार्यालय को नहीं दिया गया। तदोपरान्त डूडा कार्यालय लखनऊ द्वारा उक्त आवास दिनांक **25.09.2020** को श्रीमती तनु मौर्या पत्नी श्री अनिल कुमार मौर्या को आवंटित कर दिया गया। मौके पर भवन संख्या **86/21** में श्रीमती तनु मौर्या पत्नी श्री अनिल मौर्या निवासित हैं।<br>भवन संख्या-**96/13** के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री अनूप गुप्ता, मा0 सदस्य विधान परिषद उ0प्र0 के पत्रांक- |

| | | |
|---|---|---|
| | | **322/**बी.जे.पी. यू.पी./**2024** दिनांक **27.11.2024** के अनुसार शिकायत भवन संख्या-**86/13** के सम्बन्ध में की गयी है। मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा की गयी उक्त भवन से सम्बन्धित शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि भवन संख्या-**86/13** की स्थलीय जांच में पाया गया कि उक्त भवन में श्री सुवेब पुत्र श्री जफर द्वारा निवास किया जा रहा है, जिनके द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि भवन संख्या-86/13 श्रीमती रजिया पत्नी श्री सैययद के नाम पर आवंटित है, किन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई आवंटन पत्र एवं कब्जा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेखों के अनुसार उक्त भवन श्रीमती ऊषा साहू पत्नी श्री रामलाल साहू को आवंटित प्रतीत होता है। इससे यह स्पष्ट है कि भवन संख्या-86/13 में श्री सुवेब पुत्र श्री जफर अवैध रूप से अध्यासित हैं।<br>उक्त भवन का अवैध कब्जा खाली कराते हुए आवंटी को कब्जा दिलाये जाने हेतु डूडा कार्यालय लखनऊ के पत्रांक-3318 दिनांक 19.02.2025 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जोन-7, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ को निर्देश दे दिये गये हैं। |
| | (ग) यदि नहीं, तो क्यों? | उपरोक्तानुसार। |
| | (घ) क्या अराजक तत्वों का कब्जा हटवाने की कार्यवाही करायेंगे? | उपरोक्तानुसार। |
| | (ड़) यदि हॉ, तो कब तक? | प्रश्न नहीं उठता। |

**ए. के. शर्मा**
मंत्री,
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।